राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प॰ 17(05)प्राशि / 5th–8th परीक्षा / 2020 जयपुर, दिनांकः 24 JAN 2020

जिला कलक्टर्स,
समस्त

जिला पुलिस अधीक्षक,
समस्त

विषय : प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020 के सफल संचालन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 12.03.2020 से 03.04.2020 तक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020 राज्य के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोज्य हैं। उक्त परीक्षाओं के सुनियोजित एवं सफल संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तथा परीक्षा कार्यक्रम भी जारी किये जा चुके हैं। परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के साथ ही द्वितीय पारी में होंगी। जिला स्तर पर उक्त दोनों परीक्षाओं का संचालन सम्बन्धित जिलों के प्रधानाचार्य–डाईट, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। प्रधानाचार्य, डाईट उक्त परीक्षाओं के जिला नोडल अधिकारी होंगे।

परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए समुचित सुरक्षा मुहैया कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. दिनांकः 12 मार्च, 2020 से प्रारम्भ होने वाली कक्षा 8 की परीक्षा एवं 24 मार्च, 2020 से प्रारम्भ होने वाले कक्षा 5 के मूल्यांकन के लिए परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व के सप्ताह में प्रश्न पत्र / मूल्यांकन पत्रक जिला मुख्यालय पर प्रधानाचार्य, डाईट एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। इस दौरान कोषागार / पुलिस लाइन / पुलिस थाना / अन्य स्थान पर निर्धारित स्ट्राँग रूम की सुरक्षा हेतु पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाना।
2. प्राप्त प्रश्नपत्रों / मूल्यांकन पत्रकों को निर्धारित तिथियों पर प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रा.शि. द्वारा वितरण के दौरान पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाना।
3. परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों / मूल्यांकन पत्रकों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु सम्बन्धित जिला अधिकारियों की मांग के मुताबिक कोषागार / पुलिस लाइन / पुलिस थाना / अन्य सुरक्षित स्थान पर प्रश्नपत्र रखवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. पुलिस थाने से अधिक दूरी के कारण जिन परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्र रखे जावें, उन परीक्षा केन्द्रों पर तथा प्रधानाचार्य, डाईट द्वारा निर्धारित अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षाबल मुहैया करवाना।
5. परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् उत्तरपुस्तिकाओं को सुरक्षित रुप से संग्रहण / मूल्यांकन केन्द्रों तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करना।

उक्तानुसार परीक्षा पूर्व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य–डाईट, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के साथ एक बैठक का आयोजन कर परीक्षा व्यवस्थाओं एवं तैयारियों का जायजा लिया जावे।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि. / प्रा.शि., समस्त।
5. प्रधानाचार्य–डाईट, समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

(अनीता मीना)
शासन उप सचिव

प्रारम्भिक शिक्षा (संस्थापन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
कमरा नं. 1211, दुरभाष नं. 0141–2227661 ई–मेल–jseesec@gmail.com